

उत्तर प्रदेश शासन,  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन  
कार्यक्रम अनुभाग,  
संख्या : 2173 / 69-1-98-7(यू) / 97  
लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 1998

कार्यालय -ज्ञाप

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 125 / 69-1-98-07 (यू) / 97, दिनांक 27 जनवरी, 1998 द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं/स्वैच्छिक संस्थाओं को शासन स्तर से दिये गये धनराशि के कार्यों की जांच हेतु एक समिति गठित की गयी है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्ताव के राज पत्रित श्रेणी-दो कम नहीं होंगे, के स्थान पर “अधिकारी” शब्द पढ़ा जाय। उक्त कार्यालय-ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय-ज्ञाप की अन्य शर्तें पूर्वक रहेगी।

भवदीय,

हेमलता डौडियाल  
संयुक्त सचिव

संख्या-2173 (1) / 69-1-98-01(यू) / 97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. (सूडा) को इस संस्तुति के साथ प्रेषित की कृपया उक्तानुसार गठित समिति के लिए सूडा से एक अधिकारी को नामित करके सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
- (2) समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, (दूड़ा) उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(‘हेमलता’ डौडियाल)  
संयुक्त सचिव